न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
908 / 2024

दायर दिनांक
25.10.2024

निर्णय दिनांक
23-01-2025

1. श्रीमती प्रियंका कवंर पुत्री श्री शंकर सिंह पत्नी विजेन्द्र पाल सिंह राजपुत निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा

— प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०) —— विपक्षी

उपस्थित:– 1. अधिवक्ता प्रार्थी की और से श्री कन्हैयालाल सेन।
2. विपक्षी की और से पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेन्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकॉर्ड में हुई त्रुटि को दूरस्थ कराये जाने

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की राजस्व ग्राम छापरी पटवार हल्का सांगवा भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र कारोईकलां तहसील भीलवाडा में खाता संख्या 99 में आराजी नम्बर 46 एवं खाता संख्या 98 में आराजी नम्बर 257, 31, 435 / 32 कुल किता 03 कुल रकबा 0.1517 हैक्टेयर एवं खाता ख्या 90 में आराजी नम्बर 167, 256, 258, 259 / 1, 260, 266, 267 / 1, 32, 34, 43, 436 / 34 कुल किता 11 कुल रकबा 1.2014 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 95 में आराजी नम्बर 115 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0126 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 14 में आराजी नम्बर 100 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0379 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो प्रार्थीया के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है। राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम बिना किसी कारण के एवं लिपीकीय त्रुटि व मूलवश से प्रार्थीया का नाम प्रियंका कवंर के बजाय पिंकु कवंर अंकित कर दिया, जबकि प्रियंका कवंर को बोलचाल की भाषा मे पिंकु कवंर कहते है किन्तु प्रार्थीया के सभी सरकारी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, बैंक ऑफ बडौदा की पासबुक, राशन कार्ड, आदि सभी सरकारी दस्तावेजों में खातेदार प्रार्थीया का नाम प्रियंका कवंर दर्ज किया हुआ है जो सही है राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम पिंकु कवंर के बजाय प्रियंका कवंर किया जाने हेतु प्रार्थीया ने तहसीलदार भीलवाडा के यहां व राजस्व केम्प में भी आवेदन मय दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, बैंक ऑफ बडौदा की पासबुक, राशन कार्ड, आदि सभी दस्तावेज प्रस्तुत किये किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई इसलिए प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजियात में प्रार्थीया का नाम पिंकु कवंर के बजाय प्रियंका कवंर दर्ज किया जाने की प्रार्थना की है। प्रार्थना में वर्णित आराजियात में खातेदार प्रार्थीया का नाम पिंकु कवंर दर्ज है जबकि प्रार्थीया के सभी सरकारी दस्तावेंजो मे प्रार्थीया का नाम प्रियंका कवंर दर्ज है, इसलिए प्रार्थीया उक्त भूमि से प्राप्त होने वाली सरकारी योजनाओं किसान क्रेडिट कार्ड प्रधानमंत्री किसान योजना व अन्य सरकारी जो भी लाभ है वह नहीं उठा पा रही है इसलिए जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थीया का नाम पिंकु कवंर के बजाय प्रियंका कवंर दर्ज किया जाने की प्रार्थना की है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेन्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकॉर्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने का स्वीकार किया जाकर वाकें ग्राम छापरी पटवार हल्का सांगवा भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र कारोईकलां तहसील भीलवाडा में खाता संख्या 99 में आराजी नम्बर 46 एवं खाता संख्या 98 में आराजी नम्बर 257, 31, 435/32 कुल किता 03 कुल रकबा 0.1517 हैक्टेयर एवं खाता ख्या 90 में आराजी नम्बर 167, 256, 258, 259/1, 260, 266, 267/1, 32, 34, 43, 436/34 कुल किता 11 कुल रकबा 1.2014 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 95 में आराजी नम्बर 115 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0126 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 14 में आराजी नम्बर 100 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0379 हैक्टेयर भूमि में खातेदार प्रार्थीया का नाम प्रियंका कवंर दर्ज कराया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में हुई त्रुटि को दुरस्त किया जाने का आदेश प्रदान कराया जाये।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दिनांक 25.10.2024 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। प्रार्थीया के सरकारी दस्तोज जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, बैंक ऑफ बडौदा की पासबुक, राशन कार्ड, आदि बने हुये है अर्थात् सभी पहचान के दस्तावेजात् में प्रार्थीया का नाम प्रियंका कवंर अंकित है।

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थीया अधिवक्ता की बहस विपक्षी पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात का भलिभांति परीक्षण किया गया। प्रार्थीया के सभी पते एवं पहचान के प्रमाणपत्रों में नाम प्रियंका कवंर अंकित है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

–:आदेश :–

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार किया जाकर प्रकार ग्राम छापरी पटवार हल्का सांगवा भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र कारोईकलां तहसील भीलवाडा में खाता संख्या 99 में आराजी नम्बर 46 एवं खाता संख्या 98 में आराजी नम्बर 257, 31, 435/32 कुल किता 03 कुल रकबा 0.1517 हैक्टेयर एवं खाता ख्या 90 में आराजी नम्बर 167, 256, 258, 259/1, 260, 266, 267/1, 32, 34, 43, 436/34 कुल किता 11 कुल रकबा 1.2014 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 95 में आराजी नम्बर 115 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0126 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 14 में आराजी नम्बर 100 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0379 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीया का नाम पिंकु कवंर की बजाय पिंकु कवंर उर्फ प्रियंका कवंर पुत्री शंकर सिंह राजपूत दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन का इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 23-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

(दि[illegible] सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा